ई–मेल

पत्र संख्या : 1/विविध–1004/2014–सा0 प्र0–8356/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

***

प्रेषक,

कन्हैया लाल साह,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

बिहार संवर्ग के सभी भा0प्र0से0 पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांकः 10 जून,2016

विषयः– सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम निकासी की प्रक्रिया के संबंध में।

प्रसंगः– वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक– वि0 (27) पे0 को0–37/2016–474 दिनांक–18.05.2016.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, बिहार, पटना के प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेशानुसार कहना है कि सामान्य भविष्य निधि से स्थायी/अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति के निमित्त आवेदन प्रस्तुत करते समय वांछित बैंक लेखा एवं बैंक विवरण (बैंक एवं शाखा का नाम) भी, वित्त विभाग के प्रासंगिक पत्र के आलोक में अवश्य उपलब्ध करायी जाय।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
10/6/16
सरकार के अवर सचिव।

पत्र संख्या-वि0(27) पे0 को0-37/2016- 474 /

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

राहुल सिंह,
सचिव(व्यय) ।

पटना, दिनांक 18/5/16

सामान्य प्रशासन विभाग
प्राप्ति
24 MAY 2016
6454(i)

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/ सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष/ प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी/ कोषागार पदाधिकारी, बिहार ।

विषय :- सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम निकासी प्रक्रिया के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित मामले में कहना है कि कतिपय ऐसे मामले सरकार के संज्ञान में आये हैं, जहाँ कर्मियों के जी.पी.एफ. खाते से अग्रिम की गलत निकासी की गयी है ।

2. सम्यक् विचारोपरान्त भविष्य निधि से अग्रिम निकासी के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है कि :-

(i) सामान्य भविष्य निधि से जो भी स्थायी/अस्थायी अग्रिम स्वीकृत किया जायगा; स्वीकृत्यादेश में संबंधित कर्मी के बैंक लेखा एवं बैंक विवरण (बैंक एवं शाखा का नाम) का स्पष्ट उल्लेख किया जायगा ।

(ii) निकासी हेतु कोषागार को प्रस्तुत किये जाने वाले विपत्र में भी कर्मी के बैंक लेखा का विवरण अंकित किया जायगा । संबंधित कोषागार पदाधिकारी का दायित्व होगा कि विपत्र एवं स्वीकृत्यादेश में अंकित बैंक लेखा विवरणी के मिलान के पश्चात ही विपत्र पारित करने की कार्रवाई करें ।

(iii) वर्त्तमान में सभी राज्य कर्मियों को वेतन भुगतान उनके बैंक खाते के माध्यम से हो रहा है एवं उनके बैंक खाते का विवरण डी.डी.ओ. एवं कोषागार कार्यालय में उपलब्ध है । अतः संबंधित डी.डी.ओ. एवं कोषागार पदाधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि भविष्य निधि अग्रिम का भुगतान भी कर्मी के उसी बैंक खाते में किया जाय जिसमें उनके वेतन का भुगतान किया जाता है ।

विश्वासभाजन,

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय) ।
17.5.16